न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 86 / 16</u> निर्णय दिनांकः 24.09.2018

1. फूसराम पुत्र गोरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 12—12—2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 12—12—2000 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटनशुदा रकबा बिना सूचना के खारिज कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल

में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 15—01—1994 को 1 एम.एम. के मुरब्बा नम्बर 96/10 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा आराजी जैर का कब्जा प्राप्त कर लिया गया तथा इसी आधार पर अपीलांट के नाम से उक्त भूमि का खाता खोला गया।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किया गया आवंटन बिना सूचना के व नोटिस दिये दिनांक 12—12—2000 को कब्जे के अभाव का नोट लगाकर खारिज कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। उक्त आदेश भी आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट का आवंटन बिना सूचना के खारिज किया गया है

इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है, जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—12—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 22—08—16 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—12—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 22—08—2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 15—01—1994 को चक 1 एम.एम. के मुरब्बा नम्बर 96/10 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(3) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि खारिज करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जबकि न्याय का प्रतिपादित सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सूना जाना आवश्यक है।

(4) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि बिना सुने खारिज की गई जिसका नोट स्थाई आवंटन विवरण में अंकित किया हुआ है। जबकि अदालत मातहत की पत्रावाली में अपीलाधीन आदेश का कोई अंकन होना प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी के अनुसार जिसमें अभिलिखित किया गया है कि जमाबन्दी संवत् 2068—71 के अनुसार आराजी जैर आज भी रिकार्ड में आराजीराज दर्ज चली आ रही है तथा जमाबन्दी अनुसार कोई प्रकार

का स्थगन का विवाद नहीं है ना ही किसी प्रकार से गजट से प्रभावित नहीं है।

(5) चूंकि वर्तमान में आराजी जैर अन्य किसी को आवंटनशुदा न होकर रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

7. अतः पैरा संख्या 6 के मद संख्या 1 ता 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मुकाम बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—12—2000 निरस्त किया जाकर अपीलांट का मूल आवंटन आदेश दिनांक 15—01—1994 को बहाल किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर